भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3809
21 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि अवसंरचना की भूमिका

3809. श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री दिलीप घोष:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि के विकास और उत्पादन की गति को अगले स्तर तक ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने देश में विशेष रूप से ओडिशा में फसल कटाई पश्चात प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की है;
(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता की है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में निधि के आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
(ड.) क्या सरकार ने 2014 से विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में किसानों की आय पर इन पहलों/योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) केंद्रीय क्षेत्र योजना के लाभ किसानों को किस हद तक मिलेंगे?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): अवसंरचना कृषि में इनपुट की आपूर्ति, फसलों की बुवाई और फसलोपरांत प्रबंधन के लिए हर एक कदम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादकता बढ़ाने और फसलोपरांत नुकसान को कम करने के लिए कृषि अवसंरचना क्षेत्र में नियोजित निवेश महत्वपूर्ण है, इससे क्षमता निर्माण और उच्च आय सृजन भी होगा। भारत में भंडारण गृहों, पैक हाउस, उचित आपूर्ति श्रृंखला के अभाव आदि जैसी बुनियादी कृषि अवसंरचना के अंतराल के कारण फसलोपरांत नुकसान अपेक्षाकृत अधिक है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, भारत सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष' के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को तैयार किया है, जिसे कृषि क्षेत्र में फसल पूर्व और फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना सृजित करने हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। कृषि अवसरंचना कोष का उद्देश्य फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण पर 3% ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से वर्ष 2025-2026 तक मध्यम/दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र सामुदायिक कृषि संपत्ति में (i) जैविक इनपुट उत्पादन (ii) जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां (iii) स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना (iv) निर्यात समूहों सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने के लिए पहचान की गई परियोजनाएं (v) पीपीपी के तहत केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित की गई परियोजनाएं शामिल हैं। उपरोक्त सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के अलावा, किसान समुदाय जैसे पैक्स, एफपीओ एसएचजी, जेएलजी, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां और उनके संघ भी निम्नलिखित फसलोपरांत अवसंरचना के निर्माण के लिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। (i) ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं (ii) गोदाम (iii) सिलोस (iv) पैक हाउस (v) परख इकाइयां (vi) सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां (vii) शीत श्रृंखला (viii) रसद सुविधाएं (ix) प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (x) पकाने वाले कक्ष। अगस्त 2020 में योजना की शुरुआत के बाद से, देश भर में 8630 परियोजनाओं के लिए 6182 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जिसमें से ओडिशा राज्य में 210 परियोजनाओं के लिए 77.9 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सरकार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न योजनाओं को लागू करके कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

I. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार पहले से ही कृषि विपणन अवसंरचना को लागू कर रही है जो एकीकृत कृषि विपणन योजना (एएमआई) योजना है। एएमआई योजना बैक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी -के तहत एक उप (आईएसएएम) योजना के साथ एक मांग वाहित है जिसमें पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की दर %25और %33.33है। इस उपयोजना के तहत सहायता व्यक्तिगत-, किसानोंउत्पादकों के समूह/, पंजीकृत किसान उपज संगठनों आदि के लिए उपलब्ध है। (एफपीओ)

II. समेकित बागवानी विकास मिशन जिसके तहत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना (एमआईडीएच) %35 लागत काऔर पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में %50प्रति लाभार्थी की दर से कोल्ड स्टोरेज, बागवानी उत्पादों के लिए ठंडे कमरे की सुविधा सहित फसलोपरांत प्रबंधन अवसरंचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह घटक वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांगउद्यमी वाह/ित है जिसके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड और बैक एंडेड है।

III. भारत सरकार ने अप्रैल 14, योजना शुरू की है (नाम-ई) को राष्ट्रीय कृषि मंडी 2016, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली बनाना है। अब तक 3 राज्यों और 18संघ राज्य क्षेत्रों की मंडियों 1000 नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है।-को ई

IV. कृषि यंत्रीकरण उप मिशन अप्रैल (मएसएमएए), से लागू किया जा रहा है। इस योजना का 2014 उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कोर में लाकर और'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देकर, कृषि मशीनीकरण का लाभ देकर, हाईटेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब - बनाकर, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करके तथा पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर कार्य निष्पादन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करके-'पहुंच से दूर व्यक्ति को पहुंच तक' लाना है।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत (आरकेवीवाई), संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति जो इस योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अधिकार प्राप्त निकाय है, की बैठक में अनुमोदित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (एसएलएससी) सरकारों को अनुदान सहायता के रूप में निधियां जारी की में परियोजनाओं के आधार पर राज्य जाती है।

VI. सरकार वर्ष से पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक म 16-2015ूल्य श्रृंखला विकास के (एमओवीसीडीएनईओर) तहत प्रमाणित जैविक उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। यह योजना जैविक किसानों को प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण आदि जैसी फसलोपरांत प्रबंधन सहित जैविक उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण और विपणन तक सहायता प्रदान करती है। एकीकृत प्रसंस्करण इकाई, एकीकृत पैकहाउस-, कोल्ड स्टोर आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता आदि राज्यों को एमओवीसीडीएनईओर के तहत प्रदान की जाती है।

योजनाओं के लिए निधि के आवंटन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है.

(ड.) पश्चिम बंगाल के किसानों की आय पर वर्ष 2014 से पहलों/योजनाओं का आकलन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, एमआईडीएच योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन 2014 से दो बार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बागवानी किसानों की औसत आय में वृद्धि हुई है। बेहतर बागवानी पद्धतियों और आय वृद्धि ने किसानों को विस्तार के लिए और निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए, इस योजना ने देश के विभिन्न हिस्सों में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन किया है।

(च) केंद्रीय क्षेत्र योजना (एआईएफ) का उद्देश्य किसानों सहित कई लाभार्थियों को फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण के लिए ऋण पर 3% ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से वर्ष 2025-2026 तक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है।

लो.स.अता.प्र.सं. 3809

अनुबंध-I

योजनाओं का निधि आवंटन विवरण नीचे दिया गया है:

i. एएमआई: आईएसएएम की एएमआई उप-योजना मांग वाहित है; इसलिए, कोई राज्य/जिला-वार आवंटन नहीं किया गया है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान, कुल 185 स्वयं-वित्त पोषित राज्य एजेंसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई और 36.03 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में किसी भी वित्त पोषित राज्य एजेंसी परियोजना की सहायता नहीं की गई है!

ii. एमआईडीएच : एमआईडीएच के तहत आवंटित निधि निम्नानुसार दी गई है::

वर्ष	आवंटित निधि (करोड़ में)
2016-17	1660.00
2017-18	2198.63
2018-19	2108.07
2019-20	1551.55
2020-21	1511.92

राष्ट्रीय बागवानी मिशन समेकित बागवानी विकास मिशन की एक उप-योजना के तहत पश्चिम बंगाल को आवंटित और जारी की गई निधि, निम्नानुसार है (करोड़ में):

वर्ष	आवंटन			निर्मुक्त (जीओआई का शेयर)
	केन्द्रीय शेयर	राज्य शेयर	कुल	
2016-17	24.91	16.61	41.52	8.00
2017-18	24.91	16.61	41.52	10.00
2018-19	44.00	29.33	73.33	15.00
2019-20	44.00	29.33	73.33	8.06
2020-21	34.00	22.67	56.67	10.00

iii. एसएमएएम: एसएमएएम के तहत जारी की गई वर्ष-वार निधियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष-वार निर्मुक्त निधि (करोड़)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	181.35	151.74	363.63	791.04	1126.77	992.19	1026.63	244.96 (दिनांक तक)

पश्चिम बंगाल को एसएमएएम के तहत जारी की गई वर्ष-वार निधियां नीचे दी गई हैं::

वर्ष-वार निर्मुक्त निधि (करोड़)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	5.98	5.65	4.0	10	11.25	10	6.93	2.60 (दिनांक तक)

iv. ई-नाम: ई-नाम योजना के तहत, सरकार गुणवत्ता परख उपकरणों और सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग और खाद इकाई आदि जैसे अवसंरचना के निर्माण सहित संबंधित हार्डवेयर के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर और 75.00 लाख रुपये प्रति मंडी की सहायता प्रदान कर रही है।.

V. आरकेवीवाई: वर्ष 2015-16 से, आरकेवीवाई का फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 100:0 से 60:40 में बदल गया, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यह केंद्रीय हिस्से के रूप में 100% बना हुआ है। वर्ष 2021-22 के दौरान, पश्चिम बंगाल के लिए 388.54 करोड़ रुपए सहित राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1310.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

****